|  |
| --- |
| राजस्थान सरकारजिला  ...................................................कार्यालय ................................................................... (अधिकृत अधिकारी)अनुमति पत्रआवेदक श्री.................................................... के वाहन संख्या..................................................को अति आवश्यक कार्य............................................................हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने के दृष्टिगत गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प 32 (2) गृह-9 / 2019 दिनांक 23.03.2020 की अनुपालना में स्थान .............................. से स्थान...........................तक, दिनांक .................................से दिनांक .............................तक की अनुमति प्रदान की जाती है। (अधिकृत अधिकारी)  अधिकृत अधिकारीनाम    ...................................................पदनाम     ...................................................मोबाईल नंबर ................................................... ई-मेल      ................................................... |